हुक्मतारीख	हुक्म याकार्यवाहीअजइजिशियल्सजज शैतानाराम पुत्र सुजानाराम	
१५.५.२४	अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तह–साचौंर के खेत खसरा नम्बर 651, 654, 659, 660, 661, 6662/2288, 663, 664, 666, 667, 669, जुमले रकबा 13.98 हैक्टयर आये हुए है। उक्त भूमि पर्वू में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के स्व. परदादा भोमा तथा भोमा के बाद स्व. दादा रामू वल्द भोमा के नाम थी। प्रार्थी के दादा रामू 22 वर्ष फौत हुए थे उनकी फौतेदगी में पश्चात उक्त भूमि में बाय बर्थ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का 1/9 हिस्सा प्रत्येक का बनता था किन्तु उस वक्त हकर्तक अप्रार्थी संख्या 01 1 सुजानाराम, अप्रार्थी संख्या 1 ने व अप्रार्थी संख्या 04 मोहनलाल व प्रार्थी की स्व. दादी लाछी के नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करवा दी व इसी प्रकार आज करीबन ढाई वर्ष पूर्व प्रार्थी की दादी लाछी फौत होने पर लाछी के हिस्से की भूमि भी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 सुजानाराम व प्रार्थी की भुआ भीखी व जमना के नाम बदनियति पूर्वक प्रार्थी को हक से वंचित रखने की नियत से उनके नाम खातेदारी दर्ज करवा दी जबकी प्रार्थी को स्व. दादी लाछी के 1/3 हिस्से में जन्मसिद्व अधिकार है इसी प्रकार 1/36–1/36 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 व 3 का बाय बर्थ बनता है वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा प्रार्थी के स्व. दादा रामू के जीवनकाल में मौके पर कर दिया था, तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि कुल रकबा 1.94 हैक्टयर में प्रार्थी की नही है प्रार्थी के हिस्से की भूमि 1.94 अप्रर्थीगण को नाम रकवाने हेतु कहा तो मना कर दिया तथा प्रार्थी को धमकी दी पूरी की पूरी जमीन खातेदारी अप्रार्थी के नाम से होने से अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमदा है ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई विधित अधिकार नही है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। अधिवक्ता अप्रर्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत मनगढत एवं सारहीन होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया तथा प्रथम दृष्टया प्ररकण , सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। –:आदेशः– अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तह–साचौं[illegible] खसरा नम्बर 651, 654, 659, 660, 661, 6662/2288, [illegible] 666, 667, 669, जुमले रकबा 13.98 हैक्टयर में मौके [illegible] की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner